न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—46/2024

प्रार्थी:—

संग्रामसिंह पुत्र भंवरसिंह भायल जाति राजपूत निवासी निम्बेश्वर मवड़ी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. जोरसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह

जातियान राजपूत निवासीयान मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 23.08.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 453, 311, 411, 497/410 व 499/411 रकबा क्रमशः 1.4974, 2.9785, 3.8607, 4.0874 व 3.5370 हैक्टयर ग्राम निम्बेश्वर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''संग्राम सिंह भायल पुत्र भंवरसिंह भायल '' दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1365 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड,राशनकार्ड,पेनकार्ड,एस.बी.आई. शाखा सिवाना द्वारा जारी चैक बुक की प्रति आदि प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''संग्राम सिंह पुत्र भंवरसिंह भायल'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम निम्बेश्वर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 453, 311, 411, 497/410 व 499/411 में प्रार्थी का नाम ''सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह'' त्रुटिवश लिख

दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,राशनकार्ड,पेनकार्ड,एस.बी.आई.बैक शाखा सिवाना द्वारा जारी चैक बुक की नकल आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''संग्राम सिंह भायल पुत्र भंवरसिंह भायल'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''संग्राम सिंह भायल पुत्र भंवरसिंह भायल'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बेश्वर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 453, 311, 411, 497/410 व 499/411 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह'' के स्थान पर ''संग्राम सिंह भायल पुत्र भंवरसिंह भायल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.09.08 11:38:58 IST
Reason: SelfAttested